

प्रषक,

के०के० सिन्हा,  
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,  
गृह विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 29 सितम्बर, 2010

विषय: वित्तीय वर्ष 2010-11 की सम्भावित बाढ़ में राहत एवं बचाव कार्य हेतु 41 अदद पोर्टबुल इमरजेन्सी लाइटिंग सिस्टम का क्रय किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया पुलिस महानिरीक्षक, पी०ए०सी०, मुख्यालय, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-पी०ए०सी०-3-813-10/3401, दिनांक 26.8.2010 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव की संलग्न छाया प्रति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपदा राहत निधि के लिए लागू शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में 41 अदद पोर्टबुल इमरजेन्सी लाइटिंग सिस्टम डीजीएस एण्ड डी की दर लगभग 1,80,000/- प्रति पोर्टबुल इमरजेन्सी लाइट अर्थात् 41 पोर्टबुल इमरजेन्सी लाइट का कुल मूल्य रु० 73,80,000/- (तिहत्तर लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय प्रदान करते हैं।

3 उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक " 2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03- आपदा निधि से व्यय-42-अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि 41 अदद पोर्टबुल इमरजेन्सी लाइटिंग सिस्टम डीजीएस एण्ड डी जिसकी प्रति पोर्टबुल इमरजेन्सी लाइट की दर लगभग 1,80,000/- अर्थात् कुल धनराशि रु० 73,80,000/- (तिहत्तर लाख अस्सी हजार मात्र) पर ही व्यय किया जायेगा। उक्त उपकरण क्रय की अनुमन्यता भारत सरकार की गाइड लाइन्स में निर्धारित मानकों के अनुसार ही किया जायेगा।

5- आपदा राहत निधि से पी०ए०सी० हेतु स्वीकृत धनराशि का समुचित लेखा-जोखा पी०ए०सी० मुख्यालय उत्तर प्रदेश के स्तर पर रखा जायेगा तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर अपर पुलिस महानिदेशक, पी०ए०सी० मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और व्यय हुई धनराशि का व्यय विवरण शासन को शीघ्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

6- शासन द्वारा स्वीकृति धनराशि में से यदि बचत संभव हो ता उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2011 से पूर्व आपदा राहत निधि के नाम से बने बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से शासन को अनिवार्य रूप से समर्पित कर दिया जायेगा।

7- आपदा राहत निधि से स्वीकृति धनराशि का उपयोग केवल उल्लिखित कार्यों हेतु ही किया जाय। किसी अन्य विभागीय कार्य हेतु इस धनराशि का प्रयोग कदापि न किया जाय। पुलिस महानिदेशक, पी0ए0सी0 मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिए किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि प्राप्त न हुई हो।

8- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

9- व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

( कै0के0सिन्हा )

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त

संख्या -3178(1)/1-10-2010-रा-10, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा)/(आडिट) प्रथम, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2. पुलिस महानिदेशक, पी0ए0सी0 मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन, गृह (पुलिस) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।
4. पुलिस महानिरीक्षक, प्रो0 एव बजट, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
5. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
6. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ।
7. कोषाधिकारी, लखनऊ।
8. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
9. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/समीक्षा अधिकारी, लेखा राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
10. निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त को प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( आनन्द प्रकाश उपाध्याय )  
संयुक्त सचिव।